बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

बिहार पंप भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति–2025

संकल्प संख्या– 3401 दिनांक-- 17.07.2025

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

संकल्प

सं0–प्र0 / BSPGCL–01 / 2024– 3401 / पटना, दिनांक– 17.07.2025

विषयः– **बिहार पंप भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति–2025**

1. प्रस्तावना :

1.1 केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा जारी 2022–32 के लिए भारत की राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को ग्रिड में एकीकृत करने की चुनौतियों का समाधान करने में पंप भंडारण की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। जैसे–जैसे समग्र उत्पादन मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ती है, ग्रिड लचीलेपन को प्रबंधित करने और तंत्र की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण समाधान आवश्यक हो जाते है।

1.2 एनईपी में पंप भंडारण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जो 2026–27 में 7.5 गीगावाट से बढ़कर 2031–32 तक 27 गीगावाट हो जाएगी। यह सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की परिवर्तनशील प्रकृति को संतुलित करने की बढ़ती आवश्यकता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा भंडारण दायित्व (ईएसओ) में डिस्कॉम को 2030 तक अपने नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) का 4% ऊर्जा भंडारण के माध्यम से खरीदने का आदेश दिया गया है।

1.3 विभिन्न भंडारण प्रौद्योगिकियों में से, पंप भंडारण परियोजना (पीएसपी) एक परिपक्व और सिद्ध समाधान के रूप में सामने आता है। पीएसपी सुविधाएँ कई प्रमुख लाभ प्रदान करती हैं :

- **ग्रिड लचीलापन** : पीएसपी बिजली की मांग और आपूर्ति में उतार–चढ़ाव का तेजी से जवाब दे सकता है, जिससे ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित होती है।
- **वितरण क्षमता** : परिवर्तनीय नवीकरणीय स्रोतों के विपरीत, पीएसपी मांग पर बिजली उत्पन्न कर सकता है, तथा विश्वसनीय अधिकतम बिजली उपलब्ध करा सकता है।
- **लागत–प्रभावशीलता** : पीएसपी बड़े पैमाने के अनुप्रयोगों के लिए लागत–प्रतिस्पर्धी ऊर्जा भंडारण समाधान प्रदान करता है।

- **स्वच्छ, हरित और सुरक्षित** : पम्प स्टोरेज परियोजनाएं कोई भी विशैली या हानिकारक उपउत्पाद उत्पन्न नहीं करती हैं, इसलिए इनमें अपाशिट निपटान की कोई समस्या नहीं होती।

1.4 इन लाभों को मान्यता देते हुए, बिहार राज्य सरकार ने राज्य के भीतर पीएसपी परियोजनाओं के विकास और संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए "बिहार पंप भंडारण परियोजना संवर्धन नीति 2025" विकसित की है। इस नीति का उद्देश्य बिहार की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और पंप भंडारण क्षमता का लाभ उठाकर अधिक लचीले और टिकाऊ पावर ग्रिड में योगदान देना है।

2. परिभाषाएँ :

- **सीओडी :** वाणिज्यिक संचालन तिथि–वह चरण जब परियोजना निर्माण समाप्त होता है, और वाणिज्यिक संचालन शुरू होता है।
- **विकासक (डेवलपर)** : एक व्यक्ति या इकाई जो पीएसपी के लिए भूमि और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदार हो।
- **ऑन–स्ट्रीम पीएसपी** : ऐसी परियोजनाएँ जहां कम से कम एक भंडारण जलाशय नदी पर स्थित हो।
- **ऑफ–स्ट्रीम पीएसपी** : ऐसी परियोजनाएँ जहाँ कोई भी भंडारण जलाशय नदी पर स्थित नहीं हो।
- **राज्य** : बिहार राज्य।
- **राज्य सरकार** : बिहार सरकार।
- **भागीदार (प्लेयर्स)** : सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय या राज्य उपक्रम और राज्य में पीएसपी विकसित करने में रूचि रखने वाली निजी इकाइयाँ।
- **राज्य डिस्कॉम** : विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण लाइसेंसधारी, अर्थात् बिहार में एसबीपीडीसीएल और एनबीपीडीसीएल।
- **प्रस्ताव पत्र** : प्रथम अस्वीकृति के अधिकार के आधार पर राज्य सरकार को परियोजना क्षमता का विनिर्दिष्ट हिस्सा देने वाला एक दस्तावेज।
- **प्रथम अस्वीकृति का अधिकार** : एक संविदात्मक अधिकार जो राज्य सरकार को यह विकल्प देता है वह डेवलपर द्वारा तीसरे पक्षकारों से प्रस्ताव प्राप्त करने से पहले डेवलपर से विशिष्ट शर्तों पर परियोजना क्षमता का विनिर्दिष्ट हिस्सा खरीदना।

3. उद्देश्य :

3.1 राज्य में पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) के विकास को सुगम बनाना तथा राज्य की बढ़ती ऊर्जा माँग को टिकाऊ तरीके से पूरा करना।

3.2 स्व–चिह्नित ऑफ–स्ट्रीम स्थलों के विकास को प्रोत्साहित करके राज्य में पीएसपी की पूरी क्षमता का उपयोग करना।

3.3 निजी निवेश आकर्षित करना, राज्य सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और राज्य की अर्थव्यवस्था के समग्र सुधार में योगदान देना।

3.4 पीएसपी के विकास और उपयोग को बढ़ावा देकर ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करना।

3.5 केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नवीकरणीय खरीद दायित्व (आर.पी.ओ.) और ऊर्जा भंडारण दायित्व (ई.एस.ओ.) लक्ष्यों को पूरा करने में राज्य को सहायता प्रदान करना, जिससे राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय ग्रिड संतुलन में योगदान दिया जा सके और अधिकतम विद्युत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

4 नीति की वैधता और प्रयोज्यता :

- यह नीति जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी तथा तब तक लागू रहेगी जब तक कि कोई नई नीति इसका स्थान नहीं ले लेती।
- यह नीति 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली सभी पंप भंडारण परियोजनाओं पर लागू होती हे, जिसमें राज्य सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा वर्तमान में परिलक्षित परियोजनाएँ तथा बिहार राज्य में सर्वेक्षण और जाँच (एस एंड आई) के अधीन आने वाले शामिल हैं।
- यह नीति उन परियोजनाओं पर लागू नहीं होगी जो नीति के प्रकाशन की तिथि तक संचालन प्रारंभ कर चुकी है/निर्माणधीन है।
- उक्त वर्गीकृत प्रावधानों में वित्तीय प्रावधान एवं Bihar Financial Rule (समय समय पर यथा संशोधित) का पालन किया जायेगा।

5. कार्यान्वयन एजेंसी/नोडल एजेंसी :

5.1 बिहार सरकार इस नीति को नोडल एजेंसी के रूप में बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीजीसीएल) के माध्यम से कार्यान्वित करेगी। अतः नीति दस्तावेजों में प्रदान की गई राज्य सरकार की सभी शक्तियाँ और कार्यों का प्रयोग

पम्प स्टोरेज परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।

5.2 नोडल एजेंसी, परियोजना को छह (6) वर्षों के भीतर पूरा करने के प्रयास में आवधिक समीक्षा करेगी और डेवलपर्स से परियोजना प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करेगी।

5.3 नोडल एजेंसी परियोजना के समय पर पूरा करने के लिए विकास, योजना, रणनीति और कार्यान्वयन सहित पीएसपी के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकारों को नियुक्त कर सकेगी।

5.4 नोडल एजेंसी निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी :

- **परियोजना आवंटन :** निर्धारित आवंटन पद्धति के आधार पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू), राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (राज्य पीएसयू) या निजी डेवलपर्स को परियोजनाएं समनुदेशित करना।
- **प्रस्ताव की याचना :** स्व–परिलक्षित ऑफ–स्ट्रीम स्थानों में रूचि रखने वाले डेवपलर्स से प्रस्तावों के लिए आवधिक आमंत्रण जारी करना।
- **मूल्यांकन एवं अनुमोदन :** स्व–परिलक्षित परियोजनाओं के लिए प्रस्तावों के चयन हेतु मूल्यांकन मानदंड तथा निबंधन एवं शर्तें स्थापित करना।
- **सुविधा एवं सहायता** : परियोजना विकासकर्ताओं को आवश्यक वैधानिक अनुमतियाँ एवं स्वीकृतियाँ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना नोडल एजेंसी की भूमिका तक सीमित रहेगा, तथा इसमें किसी प्रकार की विलंब के लिए नोडल एजेंसी उत्तरदायी नहीं मानी जाएगी।
- **नीति संशोधन :** सुधार और अनुकूलन के लिए समय–समय पर नीति की समीक्षा और संशोधन करना।

6. **पंप स्टोरेज परियोजना का वर्गीकरण :** पंप स्टोरेज परियोजना को निम्नलिखित तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:–

अ. **ऑन–स्ट्रीम परियोजनाएँ :** दोनों जलाशय किसी नदी/नाले/झरने आदि पर स्थित होते हैं।

ब. **ऑफ–स्ट्रीम ओपन लूप पंप स्टोरेज परियोजना :** एक जलाशय नदी/नाले/झरने आदि पर स्थित होता है जबकि दूसरा जलाशय (ऑफ–स्ट्रीम जलाशय) किसी नदी/सदानीरा नाले/सदानीरा झरने पर स्थित नहीं होता है। यदि ऑफ–स्ट्रीम

जलाशय किसी अल्पकालिक (नॉन–पेरेनियल) नाले/झरने पर स्थित हो, तो निम्नलिखित व्यवस्था की जानी चाहिए :

i) अल्पकालिक नाले/झरने के जल को उसके डाउनस्ट्रीम में प्रवाहित करने के लिए उचित प्रावधान किया जाए, जैसे कि डैम/बैराज/तटबंध आदि के माध्यम से।

ii) जलाशय की स्वयं की कैचमेंट (जलग्रहण क्षेत्र) से प्राप्त वर्षा जल को डैम/बैराज/तटबंध आदि के माध्यम से डाउनस्ट्रीम में छोड़ा जाए।

iii) जलाशय को भरने, वाष्पीकरण और पुनःपरिसंचरण (re-circulation) से होने वाले जल हानि की पूर्ति ऐसे स्रोत से की जाए जो अल्पकालिक नाले/झरने के जलग्रहण क्षेत्र की वषा पर आधारित न हो।

स. **ऑफ–स्ट्रीम क्लोज्ड लूप पंप स्टोरेज परियोजना** : कोई भी जलाशय किसी नदी/सदानीरा झरने पर स्थित नहीं होता। यदि कोई जलाशय किसी अल्पकालिक (नॉन–पेरेनियल) नाले/झरने पर स्थित हों, तो निम्नलिखित प्रावधान किए जाने चाहिए:

i) अल्पकालिक नाले/झरने के जल को उसके डाउनस्ट्रीम में प्रवाहित करने के लिए उचित प्रावधान किया जाए, जैसे कि डैम/बैराज/तटबंध आदि के माध्यम से।

ii) जलाशय की अपनी कैचमेंट (जलग्रहण क्षेत्र) से प्राप्त वर्षा जल को डैम/बैराज/तटबंध आदि के माध्यम से डाउनस्ट्रीम में छोड़ा जाए।

iii) जलाशय को भरने, वाष्पीकरण और पुनःपरिसंचरण से होने वाले जल हानि की पूर्ति ऐसे स्रोत से की जाए जो अल्पकालिक नाले/झरने के जलग्रहण क्षेत्र की वर्षा पर निर्भर न हो।

7. परियोजना आवंटन :

7.1 ऑन–स्ट्रीम पंप स्टोरेज परियोजना और ऑफ–स्ट्रीम ओपन लूप पंप स्टोरेज परियोजना :

राज्य सरकार द्वारा नामित एजेंसी समय–समय पर चालू परियोजनाओं की पहचान करेगी। परियोजनाओं को नामांकन के आधार पर सीपीएसयू या राज्य पीएसयू को तथा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से निजी डेवलपर्स को आवंटित किया जा सकेगा। आवंटन की अवधि तथा निबंधन एवं शर्तें इस नीति के तहत परिभाषित की जाएँगी। राज्य सरकार के पास

सभी ऑन–स्ट्रीम परियोजनाओं के लिए परियोजना क्षमता का 80% तक प्रथम अस्वीकृति का अधिकार होगा।

आवंटन कार्यप्रणाली :

7.1.1 नामांकन : राज्य सरकार समय–समय पर भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट सीपीएसयू या राज्य पीएसयू को नामांकन के आधार पर परियोजनाएं आवंटित कर सकेगी। राज्य सरकार कार्यान्वयन समयसीमा और कार्यप्रणाली का विवरण देते हुए प्लेयर्स से प्रारंभिक प्रस्ताव आमंत्रित कर सकती है।

निष्पादन की समयसीमा, अतीत में परियोजनाओं के निष्पादन का ट्रैक रिकॉर्ड, इकाई की वित्तीय ताकत और इकाई के साथ परियोजनाओं की वर्तमान पाइपलाइन पर उचित विचार किया जाएगा। परियोजनाओं को ऐसे पीएसपी के विकास के लिए सीपीएसयू और/या राज्य पीएसयू के बीच संयुक्त उद्यमों (जेवी) को भी आवंटित किया जा सकेगा। इसके अलावा सीपीएसयू/राज्य पीएसयू यह सुनिश्चित करेगा कि उपकरणों की आपूर्ति और परियोजना के निर्माण के लिए अनुबंधों का अधिनिर्णय, या तो टर्नकी के माध्यम से या अच्छी तरह से परिभाषित पैकेजों के माध्यम से, प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर किया जाता है।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अधीन इस माध्यम से विकसित क्षमता के लिए टैरिफ नियत करेगा।

7.1.2. प्रतिस्पर्धी बोली :

राज्य सरकार निजी डेवलपर्स का चयन करने के लिए परिलक्षित ऑन–स्ट्रीम स्थलों के लिए प्रतिस्पर्धी बोली लगा सकेगी। सीपीएसयू और राज्य पीएसयू भी बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। जीतने वाले बोलीदाता आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त करने के बाद आवश्यक सर्वेक्षण और अन्वेषण (एस एंड आई) करने के लिए जिम्मेदार होंगे। बोली लगाने की दो पद्धतियाँ अपनाई जा सकेंगी

क. **दो–चरणों वाली बोली :** बोली प्रक्रिया दो चरणों में आयोजित की जाएगी:

i. पूर्व–अर्हता

- आवेदक वित्तीय मजबूती, समान बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के विकास में अनुभव, पिछले परियोजना विकास ट्रैक रिकॉर्ड और पण्यावर्त (टर्नओवर) सहित स्थापित मानदंडों के आधार पर पूर्व–अर्हता प्राप्त करेंगे।

- इन मानदंडों का विशिष्ट विवरण, प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) में उल्लिखित किया जाएगा।

ii. बोली :

- संक्षिप्त सूची में नाम वाले आवेदक मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर बोलियाँ प्रस्तुत करेंगे, जैसे कि प्रस्तावित रियायत अवधि और आरएफपी में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त मापदंड, यदि कोई हो।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर अनुमोदन प्राप्त करने के बाद और परियोजना की वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) से पहले, डेवलपर राज्य सरकार को प्रस्ताव पत्र (एलओओ) प्रस्तुत करेगा, जिसमें परियोजना की कम से कम 80% क्षमता बेचने का प्रस्ताव होगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग इस विधा के तहत विकसित क्षमता के लिए टैरिफ की निर्धारण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 के अंतर्गत करेगा।
- यदि राज्य सरकार एलओओ प्रस्तुत करने के 8 सप्ताह के भीतर प्रस्तावित पूर्ण या आंशिक क्षमता को स्वीकार नहीं करती है, तो डेवलपर के पास अल्पावधि, मध्यावधि या दीर्घावधि विद्युत क्रय समझौतों (पीपीए) के माध्यम से, या द्विपक्षीय अनुबंधों के माध्यम से विद्युत बाजारों में शेष क्षमता को बेचने का अधिकार बना रहता है।

ख. **टैरिफ आधारित बोली :** इस पद्धति का उपयोग तब किया जाता है जब उत्पादित बिजली का उपयोग राज्य या उसकी वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा किया जाएगा। राज्य डिस्कॉम, दीर्घकालिक ऊर्जा मांग और भंडारण आवश्यकताओं का निर्धारण करेगा। बोलियाँ निम्न पर आधारित हो सकेंगी :

- एक सम्मिलित टैरिफ (इनपुट बिजली लागत सहित) यदि डेवलपर द्वारा व्यवस्थित किया गया हो, या
- यदि इनपुट पावर की व्यवस्था राज्य डिस्कॉम द्वारा की जाती है तो प्रति मेगावाट घंटा (MWh) भंडारण टैरिफ बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से आवंटित परियोजनाओं के लिए टैरिफ अपनाएगा।

7.2. ऑफ–स्ट्रीम क्लोजड लूप पंप स्टोरेज परियोजना :

राज्य सरकार डेवपलर्स (प्लेयर्स) को उपयुक्त स्थलों का प्रस्ताव करने की अनुमति देकर ऑफ–स्ट्रीम पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) की पहचान और विकास को प्रोत्साहित करती है।

7.2.1 आवंटन कार्यप्रणाली :

i. रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) : राज्य सरकार समय–समय पर प्लेयर्स से स्व–परिलक्षित ऑफ–स्ट्रीम स्थलों के लिए रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करती है।

ii. प्रस्ताव प्रस्तुत करना :प्लेयर्स राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जिसमें परिलक्षित स्थल, भंडारण क्षमता, तकनीकी–व्यावसायिक व्यवहार्यता और पूर्व–साध्यता रिपोर्ट का विवरण होता है।

iii. मूल्यांकन और आवंटन : राज्य सरकार प्रस्ताव के मूल्यांकन और आवंटन के लिए पारदर्शी मानदंड स्थापित करेगी, जिसे सार्वजनिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान, राज्य सरकार आस–पास के क्षेत्र में मौजूदा और योजनबद्ध विकास पर प्रस्तावित परियोजना के संभावित प्रभाव पर विचार करेगी। मूल्यांकन के आधार पर, प्रस्ताव हो सकेगा :

- **अनुमोदित :** डेवपलर के साथ एक समझौता ज्ञापन / करार पर हस्ताक्षर किए जाएँगे।
- **इनकार :** राज्य सरकार प्लेयर को निर्णय से अवगत कराती है।

iv. प्रस्ताव पत्र : डेवपलर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर अनुमोदन प्राप्त करने के बाद और परियोजना सीओडी से पहले राज्य सरकार को परियोजना क्षमता के कम से कम 80% के लिए प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत करता है।

V. प्रथम अस्वीकृति का अधिकार : राज्य सरकार को परियोजना क्षमता के 80% तक प्रथम अस्वीकृति का अधिकार होगा।

vi. ऐसी क्षमता के लिए **टैरिफ**, बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी) द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अधीन नियत किया जाएगा।

vii. शेष क्षमता : यदि राज्य सरकार डेवलपर से प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने के 8 सप्ताह के भीतर प्रस्तावित क्षमता के पूर्ण या किसी अंश पर स्वीकृति प्रदान नहीं करती है, तो डेवलपर शेष परियोजना क्षमता या संपूर्ण क्षमता को लघु / मध्यम / दीर्घकालिक पीपीए के तहत या बिजली बाजारों में या द्विपक्षीय अनुबंधों के माध्यम से बेचने के लिए स्वतंत्र

होगा। चूँकि यह एक व्यक्ति–निश्ठ धारणा है इसलिए निर्णय वस्तुनिष्ठता के आधार पर लिया जाना चाहिए। अर्थात जिसने सबसे कम टैरिफ उद्धृत किया हो, यदि यह संभव न हो तो लॉटरी आदि के माध्यम से।

7.2.2 विरोध समाधान :

स्थल की पहचान को लेकर विरोध की स्थिति में :

- **राज्य/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बनाम निजी डेवलपर :** राज्य/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को प्राथमिकता दी जाती है।
- **दो निजी डेवपलर्स :**
    - **उच्च क्षमता :** अधिक ऊर्जा भंडारण क्षमता (MWh) का प्रस्ताव करने वाले डेवपलर को प्राथमिकता दी जाती है।
    - **समान क्षमता :** उच्च तात्कालिक विद्युत उत्पादन क्षमता (मेगावाट) का प्रस्ताव करने वाले डेवलपर को प्राथमिकता की जाती है।
    - दो निजी डेवलपर्स समान क्षमता (ऊर्जा शर्तों) और समान तात्कालिक क्षमता के साथ एक ही स्थल की पहचान करते हैं तो क्षेत्र में पेयजल और/या सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समर्थन का प्रस्ताव करने वाले डेवलपर को प्राथमिकता दी जाएगी। यह एक व्यक्तिनिष्ठ प्रावधान होने के कारण निर्णय वस्तुनिष्ठता के आधार पर लिया जाना चाहिए, अर्थात उस बोलीदाता को वरीयता दी जानी चाहिए जिसने न्यूनतम टैरिफ उद्धत किया हो। यदि यह संभव न हो, तो लॉटरी आदि के माध्यम से निर्णय लिया जा सकता है।

8. समर्थन और प्रोत्साहन :

राज्य के पीएसपी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित सहायता और प्रोत्साहन दिए जाएंगे:

8.1 समर्थन :

I. मंजूरी : डेवलपर्स को केन्द्र और राज्य सरकारों से आवश्यक सभी वैधानिक मंजूरी प्राप्त करनी होगी। नोडल एजेंसी मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

II. भूमि अर्जन : सभी परियोजना श्रेणियों के लिए, भूमि पर हस्तांतरण/मंजूरी की अनुमति उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 और इसके संबंधित नियम, 2014 और संशोधन, यदि काई हो, के तहत पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए केंद्रीय

भूमि अर्जन के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने पर दी जाएगी। सभी संबंधित कार्य/भूमि अर्जन आदि राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार से परामर्श के उपरांत की जाएगी।

III. मौजूदा जल (हाइड्रो) परियोजना को प्राथमिकता : राज्य में संचालित या निर्माणाधीन जल परियोजना वाले डेवपलर्स को उनकी मौजूदा भंडारण सुविधाओं से जुड़ी पीएसपी आवंटित करते समय प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि, अतिरिक्त पीएसपी क्षमता, आवंटित जल क्षमता से अलग होगी और इसके लिए अतिरिक्त अग्रिम प्रीमियम नहीं लगेगा। ऐसी परियोजनाओं के लिए आवंटन अवधि मौजूदा जल परियोजना की रियायत अवधि तक सीमित रहेगी।

IV. मानित गैर–कृषि भूमि का दर्जा : पीएसपी निर्माण के लिए आवंटित भूमि को लागू फीस के भुगतान पर मानित गैर कृषि (एनए) दर्जा दिया जाएगा जिससे बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन), अधिनियम, 2010 की धारा 5(1) के उपबंध और संशोधन, यदि कोई हो, के अधीन भूमि उपयोग की प्रक्रियाएँ व्यवस्थित हो जायेंगी। सभी संबंधित कार्य/भूमि अर्जन आदि राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार से परामर्श के उपरांत की जाएगी।

v. एकल खिड़की मंजूरीः पीएसपी डेवलपर्स के लिए समयबद्ध वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने हेतु एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली स्थापित की जाएगी। आवश्यकतानुसार सहायता भी प्रदान की जा सकेगी।

8.2 प्रोत्साहनः

I. **कम संचरण प्रभार** : राज्य आरई नीति के अनुसार अंतर–राज्य संचरण प्रभार में छूट लागू होगी। इसका उद्देश्य परियोजना लागत को कम करना और वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करना है।

II. **स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ)** : यदि बिजली राज्य सरकार द्वारा खरीदी जाती है तो एलएडीएफ, ऑफ–स्ट्रीम पीएसपी पर लागू नहीं होगा। इससे डेवलपर्स पर वित्तीय बोझ कम होता है।

III. **निःशुल्क रॉयल्टी बिजलीः** राज्य सरकार पीएसपी से निःशुल्क रॉयल्टी बिजली नहीं वसूलेगी, जिससे डेवलपर्स को अधिक राजस्व प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

IV. कर एवं शुल्कः पंप संचालन हेतु इनपुट ऊर्जा के लिए पीएसपी द्वारा डिस्कॉम से ली गई बिजली पर 100% विद्युत शुल्क में छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, ओपन एक्सेस के माध्यम से पीएसपी द्वारा की गई विद्युत खरीद को भी वितरण कंपनियों द्वारा क्रॉस सब्सिडी चार्ज से छूट प्रदान की जाएगी। ऐसी विद्युत शुल्क छूट संबंधित विभाग से प्रतिपूर्ति योग्य होगी और यह परियोजना के चालू होने की तिथि से 15 वर्षों की अवधि तक ऐसी परियोजनाओं से उपभोग की गई बिजली पर लागू होगी। पीएसपी पर किसी भी प्रकार का जल उपकर नहीं लगाया जाएगा।

V. राज्य वस्तु और सेवा कर (SGST) : वाणिज्य कर विभाग द्वारा पीएसपी के विकास के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों हेतु एसजीएसटी के भुगतान से 100% छूट 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। उपयुक्त राशि की प्रतिपूर्ति उद्योग विभाग, बिहार द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत अपनाए गए मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

VI. खुली पहुँच (ओपन एक्सेस): अंतर राज्य के लिए, परियोजना की पूरी अवधि या 25 वर्ष, जो भी पहले हो, के लिए ओपन एक्सेस मंजूरी दी जाएगी। 30 दिनों के भीतर डिस्कॉम की ओर से डेवलपर को कोई प्रतिक्रिया या सूचना न मिलने पर, ऐसे आवेदन को ओपन एक्सेस माना जाएगा। उपयुक्त प्रभार विद्यमान बीईआरसी विनियमों और संशोधनों, यदि कोई हो, द्वारा शासित होंगे।

VII. स्टाम्प शुल्क :औद्योगिक भूमि तथा बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की अधिकारिता से बाहर की भूमि के पट्टे/बिक्री/हस्तांतरण पर लगाए गए स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्रीकरण फीस की 100% प्रतिपूर्ति सभी नई इकाइयों को इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पाद शुरू करने के पश्चात उपलब्ध होगी। स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस की यह प्रतिपूर्ति केवल पहली बार दी जाएगी तथा पट्टे/बिक्री/हस्तांतरण के बाद चरणों में लागू नहीं होगी। यह प्रोत्साहन केवल भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 9(1) के अधीन तथा राज्य राजपत्र में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 78 के अधीन नई इकाइयों को उपलब्ध होगा। यदि कोई मौजूदा इकाई पीएसपी संयंत्र स्थापित करती है या विस्तार के लिए जाती है, तो उसे राज्य के भीतर नई क्षमता संयंत्र स्थापित करने के लिए ही नई इकाई माना जाएगा।

VIII. भूमि संपरिवर्तन प्रभारः बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) अधिनियम 2010 और वन विभाग एवं उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंडों और संशोधनों, यदि कोई हो, के अनुसार परियोजना द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि के संपरिवर्तन के लिए लगाए जा रहे भूमि उपयोग संपरिवर्तन प्रभार/भूमि उपयोग में परिवर्तन फीस पर 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी।

IX. **अन्य प्रभार :** भूमि के पट्टे से संबंधित दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए इकाइयों को न्यायालय फीस से छूट दी जाएगी। इसके अलावा भूमि उपयोग अनुमोदन, बाहरी विकास प्रभार, संवीक्षा फीस और बुनियादी ढाँचे के विकास प्रभार से भी छूट दी जाएगी।

X. उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के अतिरिक्त, राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा घोषित अन्य सभी प्रासंगिक प्रोत्साहन एवं लाभ भी उल्लिखित मानदंडों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होंगे।

9. आवंटन के निबंधन एवं शर्तेः

9.1 बैंक गारंटीः

डेवलपर्स निविदा/आर0एफ0पी0 के नियमों के अनुसार बैंक गारंटी जमा करना सुनिश्चित करेंगें।

9.2 भूमि उपयोग अधिकारः

I. सरकारी भूमिः

सरकारी भूमि (यदि लागू हो) को राज्य की विद्यमान नीति/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बीआईएडीए) के मानदंडों के अनुसार पीएसपी परियोजना के लिए आवंटित किया जाएगा, जैसा कि बिहार वित्त नियमावली के नियम 440 के उपबंधों और संशोधनों के अधीन लागू और विहित है। बिहार सरकार का राजस्व और भूमि सुधार विभाग सरकारी भूमि के हस्तांतरण के लिए कार्रवाई करेगा। सभी संबंधित कार्य/भूमि अर्जन आदि राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार से परामर्श के उपरांत की जाएगी।

II. वन भूमिः

डेवलपर को संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं/दिशानिर्देशों के अनुसार वन भूमि के पथांतरण के लिए आवेदन करना होगा तथा लागू शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान करना होगा।

III. निजी भूमिः

भूमि स्वामी और डेवलपर के बीच पारस्परिक रूप से तय शर्तों के अधीन तथा बिहार रैयती भूमि पट्टा नीति, 2014 द्वारा अपनाए मानदंडों और संशोधनों, यदि कोई हो, के अनुरूप।

10. सुविधा प्रभारः

आवंटन के बाद डेवलपर्स को नोडल एजेंसी को प्रति मेगावाट रू0 50,000/- की एकमुश्त शुल्क देनी होगी जो अधिकतम रू0 50,00,000/- तक सीमित होगी।

11. परियोजना क्रियान्वयन की समय सीमाः

11.1 डेवलपर को आवंटन की तिथि से छह (6) वर्षों के भीतर परियोजना को पूरा करने के लिए परियोजना निष्पादन समयसीमा का पालन करना होगा। परियोजना विकास के लिए सांकेतिक समयसीमा नीचे विनिर्दिष्ट हैः

I. **विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना तथा राज्य और केन्द्र सरकारों और विनियामक (जैसा लागू हो) की सभी वैधानिक मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करनाः** डेवलपर को MoP के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवंटन तिथि से 720 दिनों के भीतर डीपीआर तैयार करना सुनिश्चित करना होगा (यह उन डेवलपर्स पर भी लागू होता है जो मौजूदा हाइड्रो साइट्स पर पीएसपी क्षमता विकसित कर रहे हैं)। डीपीआर की CEA से स्वीकृति प्राप्त करना डेवलपर की जिम्मेदारी होगी और इसे CEA के दिशा-निर्देशों (अंतिम संशोधन के अनुसार) में निर्धारित समयसीमा के अनुरूप पूरा करना आवश्यक होगा।

II. **भूमि अर्जन, वित्तीय समापन और वित्तपोषण सुरक्षित करनाः** आवंटन तिथि से 3 वर्ष के भीतर

III. **निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्थित होनाः** डेवलपर को परियोजना आवंटन की तिथि से 2 (दो) वर्षों की अवधि के भीतर निर्माण कार्य प्रारंभ करना होगा, अन्यथा राज्य द्वारा परियोजना स्थल का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि, उन परियोजनाओं को । (एक) वर्ष की छूट दी जा सकती है जहाँ निर्माण कार्य में विलंब का कारण पर्यावरण स्वीकृति (EC) और वन स्वीकृति (FC) के लंबित होने

से संबंधित हो, बशर्ते कि इन अनुमतियों के लिए आवेदन परियोजना के आवंटन के समय सहमत समयसीमा के भीतर संबंधित प्राधिकरणों को प्रस्तुत कर दिए गए हों।

IV. **निर्माण पूरा होना :** राज्य तथा केंद्र सरकार और विनियामक (जहाँ लागू हो) से वैधानिक स्वीकृतियाँ और अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से 3 (तीन) वर्षों के भीतर कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए। हालांकि, परियोजना की कुल पूर्णता अवधि आवंटन की तिथि से 6 (छह) वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

V. सभी कार्य बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सलाह के अनुसार किए जाएंगे।

11.2 इसके अलावा, राज्य सरकार बोली आवंटन शर्तों के हिस्से के रूप में प्रत्येक परियोजना के लिए परियोजना कार्यान्वयन के पूरा होने हेतु अधिकतम वर्षों की संख्या निर्धारित करेगी। परियोजना को 6 वर्षों की समय–सीमा के भीतर चालू किया जाना चाहिए।

11.3 राज्य सरकार की संतुष्टि के अधीन बेकाबू कारकों जैसे कि अप्रत्याशित घटना, जैसे फोर्स मेज्योर (Force Majeure), सरकारी कार्यवाई, कानून में परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, ईश्वरीय घटना, कोविड–19 जैसी महामारी अथवा वैधानिक अनुमोदन और मंजूरी में देरी, कानून में बदलाव आदि को छोड़कर, परियोजना निर्माण शुरू होने से पहले बोली/आवंटन शर्तों में उल्लिखित किसी निष्पादन तक पहुँचने में विफलता स्थल के आवंटन को स्वतः रद्द कर देगा, और भुगतान की गई किसी भी अग्रिम राशि को जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे मामले में डेवलपर्स को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

11.4 यदि डेवलपर द्वारा उपरोक्त समय–सीमा के भीतर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाता है, तो राज्य द्वारा परियोजना स्थल का आवंटन रद्द किया जा सकता है। हालाँकि, उन परियोजनाओं को 1 वर्ष की छूट दी जा सकेगी जहाँ निर्माण कार्य शुरू होने में देरी लंबित पर्यावरण मंजूरी (ईसी) और वन मंजूरी (एफसी) के कारण होती है, बशर्ते कि आवेदन संबंधित प्राधिकारियों को परियोजना मिलने के समय सहमत समय–सीमा के भीतर प्रस्तुत किए जाएँ।

11.5 यदि निर्धारित समय–सीमा के भीतर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पूरी होने पर डेवलपर के पास यह साबित करने के लिए आधार हो कि परियोजना तकनीकी–व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, तो डेवलपर आवंटन को राज्य सरकार को अभ्यर्पित कर सकेगा।

12. आवंटन की अवधिः

12.1 पम्प भंडारण परियोजनाएँ आवंटन की तिथि से अधिकतम पैंतालीस (45) वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी, जिसके अंत में वे राज्य सरकार को वापस कर दी जाएँगी या राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार पारस्परिक रूप से सहमत नियम एवं शर्तों पर आगे बढ़ाई जाएँगी।

12.2 सफल डेवलपर द्वारा परियोजना परिसंपत्तियों का रखरखाव ऐसी स्थिति में किया जाएगा, जिससे किसी भी समय कम से कम 30 वर्षों के लिए निर्धारित क्षमता पर परियोजना का अवशिष्ट जीवन सुनिश्चित हो सके।

12.3 परिचालन के 10वें, 20वें, 30वें और 40वें वर्ष के दौरान, साथ ही रियायत के अंतिम वर्ष के दौरान, राज्य सरकार या उसकी ओर से नियुक्त एजेंसियों में से एक को परियोजना स्थल का अनिवार्य निरीक्षण करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना परिसंपत्तियों को अपेक्षित मानकों के अनुरूप बनाए रखा गया है ताकि संयंत्र की विनिर्दिष्ट उत्पादन क्षमता और अवशिष्ट जीवन सुनिश्चित हो सके।

12.4 यदि ऐसी निरीक्षणों में यह पाया जाता है कि संयंत्र की क्षमता और/या आयु अपर्याप्त अनुरक्षण के कारण प्रभावित हो रही है, तो राज्य सरकार डेवलपर से सुधारात्मक उपाय करने की मांग करने के लिए अधिकृत होगी। यह NIT एवं LOA में निहित प्रावधानों के आलोक में होगा।

13. बिजली निष्क्रमण :

13.1 जहाँ डेवलपर राज्य संचरण उपयोगिता (एसटीयू) से जुड़ना चाहता है, बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड (बीएसपीटीसीएल) मौजूदा प्रक्रियाओं और बीईआरसी विनियमों के अनुसार अपने अंतर–राज्यीय संचरण प्रणाली तक संयोजकता का विस्तार करेगा।

13.2 डेवलपर, बीएसपीटीसीएल/एसटीयू की समीक्षा और अनुमोदन के बाद, अपने स्वयं के खर्च पर पीएसपी साइट से बीएसपीटीसीएल/एसटीयू द्वारा परिलक्षित ग्रिड संयोजकता बिन्दु तक नेटवर्क अवसंरचना बिछाएगा।

13.3 यदि पीएसपी स्थल से बिजली के निष्क्रमण के लिए बीएसपीटीसीएल/एसटीयू द्वारा किसी नए ईएचवी सबस्टेशन और संचरण लाइन या मौजूदा संचरण प्रणाली मजबूत करने की आवश्यकता होती है, तो इसे डेवलपर की लागत पर किया जाएगा।

14. आवंटन का हस्तांतरण :

14.1 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार परियोजना चालू होने के बाद बिना किसी अतिरिक्त लागत के परियोजना हस्तांतरण की अनुमति है।

14.2 प्री–कमीशनिंग हस्तांतरण की अनुमति है यदि :

- डेवलपर परियोजना को पूरा करने में अपनी असमर्थता का औचित्य सिद्ध करता है।
- यह हस्तांतरण मूल आवंटन वाले निबंधन व शर्तों के अधीन या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित उचित उपांतरणों के साथ होता है।

15. अन्य शर्तें:

15.1 सामग्री एवं सेवाओं के क्रय हेतु नामांकन एवं निविदा प्रक्रिया का अनुपालन, NIT के दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा।

15.2 बिहार क्रय अधिमानी नीति 2024 और इसके संशोधनों, यदि कोई हो, के साथ एकीकरण सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि सभी खरीद गतिविधियों में बिहार के भीतर एमएसएमई उद्योगों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा सके और समर्थन दिया जा सके।

16. विवाद समाधान:

16.1 बिहार पंप भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति की व्याख्या, विकास या कार्यान्वयन के संबंध में किसी भी विवाद या मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में, मामले को बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीजीसीएल) के प्रबंध निदेशक (एमडी) को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। बीएसपीजीसीएल के प्रबंध निदेशक (एमडी), विवाद की प्राप्ति के बाद, मामले को तुरंत सभी प्रासंगिक अभिलेखों के साथ बिहार राज्य विद्युत (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को संदर्भित करेंगे। संदर्भ प्राप्त होने पर, सीएमडी संबंधित हितधारकों को एक नोटिस जारी करेंगे, जिसमें उन्हें पंद्रह (15) दिनों के भीतर लिखित जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाएगा। सीएमडी विवाद का न्यायनिर्णयन करेगा और पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर कारण बताओ जवाब की प्राप्ति की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर या निर्धारित अवधि की समाप्ति, जो भी पहले हो, के भीतर अंतिम आदेश पारित करेगा। यदि कोई पक्ष विधिवत अधिसूचित होने के बावजूद निर्धारित समय के

भीतर जवाब प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो सीएमडी उपलब्ध अभिलेखों और सामग्रियों के आधार पर मामले को एकपक्षीय या अन्यथा तय करने के लिए आगे बढ़ सकता है।

16.2 **अपीलीय फोरमः**

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (सीएमडी) द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश की घोषणा की तारीख से 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर बिहार लोक निर्माण अनुबंध विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थता के लिए आवेदन कर सकता है।

17. संदिग्धता समाधानः

इन दिशानिर्देशों में प्रयुक्त शब्दों में किसी भी संदिग्धता की व्याख्या प्रासंगिक केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधिनियमों, नीतियों और विनियमों के अनुसार की जाएगी।

आदेशः **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(मनोज कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–प्र0 / BSPGCL–01 / 2024– 3401 / पटना, दिनांक– 17.07.2025

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को बिहार राजपत्र के प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 200 (दो सौ) प्रतियाँ, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–प्र0 / BSPGCL–01 / 2024– 3401 / पटना, दिनांक– 17.07.2025

प्रतिलिपिः–सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली / सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–प्र0 / BSPGCL–01 / 2024– 3401 / पटना, दिनांक– 17.07.2025

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं हक), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–प्र0 / BSPGCL–01 / 2024– 3401 / पटना, दिनांक– 17.07.2025

प्रतिलिपिः–राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के प्रधान सचिव / माननीय मंत्री, ऊर्जा के आप्त सचिव / मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना / सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना / संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना / उप सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना / अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0, पटना / प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना / प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रॉन्समिशन कं0 लि0, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं0 लि0, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम, पटना / निदेशक, ब्रेडा, विद्युत भवन–II, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।